कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-08/2024 **दिनांक 28/08/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 27.08.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01. स्वाट/सर्विलांस एवं थाना गहमर की सयुंक्त टीम द्वारा शराब तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अदद सरकारी पिस्टल 9mm बोर बरामद।</u>

दिनांक 26.08.2024 को मु०अ०सं० 144/24 धारा 103(1)BNS से संबंधित मुखबिर खास की सूचना पर प्रकाश में आए अभियुक्तगण (1) विनय कुमार पुत्र राजू प्रसाद निवासी वार्ड नंबर 01 खगौल रोड नियर बिस्कुट फैक्टरी विकास कालोनी फुलवारी शरीफ पटना बिहार (2) प्रेमचंद्र कुमार पुत्र विरेंद्र वर्मा निवासी भगवतीपुर वजीतपुर बिहार (3) पंकज कुमार पुत्र सालिक राम गिरी निवासी म०न०88/B निउरा कालोनी बीनापुर खमखगौल दानापुर बिहार (4) विलेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 महेंद्र चौधरी निवासी उसरी बाजार शाह पटना बिहार को जनपद गाजीपुर पुलिस स्वाट टीम/सर्विलांस टीम / STF नोएडा इकाई गौतमबुद्ध नगर/ जीआरपी DDU द्वारा संयुक्त टीम के साथ दिनांक 26.08.2024 को गिरफ्तार किया गया था। इसके संबंध में प्रभारी निरीक्षक/विवेचक थाना गहमर द्वारा कड़ाई से पूछताछ में प्रकाश में आए अभियुक्त प्रेमचंद कुमार पुत्र वीरेंद्र वर्मा उपरोक्त द्वारा मृतक जवान प्रमोद, जावेद का मोबाइल फोन व पर्स घटनास्थल से बरामद करने की बात कहीं गयी इस बात पर विश्वास कर घटना स्थल की ओर जहां दोनों जवानों को ट्रेन से फेंका गया है, वहीं आस पास दोनों मोबाइल व पर्स फेके थे जो ढूंढने पर बरामद हो सकता है, अभियुक्त प्रेमचंद कुमार उपरोक्त के निशान देही पर घटनास्थल के लिए मैं प्रभारी निरीक्षक मय हमराह मय अभियुक्त प्रेमचंद कुमार को लेकर घटना स्थल रेलवे ट्रैक पर पहुंचा जहां पर प्रमोद का शव मिला था उसके आस पास कुछ दूर पर खोजबीन शुरू किया गया इसी बीच प्रमोद के शव के पहले डाउन लाइन के बगल झाड़ियों में एक पर्स बरामद हुआ जिसे खोलकर देखा गया जो मृतक जावेद का होना पाया गया इसी बीच फेके गए दोनों मोबाइल बरामद करने की बात कह ही रहा था कि अभियुक्त द्वारा अचानक उप निरीक्षक श्री सुरेश मौर्य को एक बारगी धक्का देकर उनके सरकारी

पिस्टल छीन कर ट्रैक से नीचे झाड़ियो की तरफ भाग कर पुलिस टीम को निशाना बनाकर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा जिस पर पुलिस टीम द्वारा अपना आत्मरक्षा संतुलित जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया तो बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। जिसको प्राथमिक उपचार हेतु CHC भदौरा भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घायल अभियुक्त का नाम पता

1. प्रेमचंद कुमार पुत्र वीरेंद्र वर्मा भगवतीपुर वजीतपुर बिहार

बरामदगी - 01 अदद सरकारी पिस्टल 9mm मय मैगजीन मय 07 अदद जिन्दा कारतूस

घायल अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 1102/2018 धारा 302 भादवि थाना बिहटा जनपद पटना बिहार व अन्य शराब के मुकदमे दर्ज होना बताया जा रहा है।

2. मु0अ0सं0 144/2024 धारा 103(1) बीएनएस थाना गहमर जनपद गाजीपुर।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-पता -

1. विनय कुमार पुत्र राजू प्रसाद निवासी वार्ड नंबर 01 खगौल रोड नियर बिस्कुट फैक्टरी विकास कालोनी फुलवारी शरीफ पटना बिहार

आपराधिक इतिहास

A. मु0अ0सं0 951/22 धारा 153,164, 141, 147,145 रेल अधिनियम

B. मु0अ0सं0 144/2024 धारा 103(1) बीएनएस थाना गहमर जनपद गाजीपुर

2. पंकज कुमार पुत्र सालिक राम गिरी निवासी मoनo88/B निउरा कालोनी बीनापुर खमखगौल दानापुर बिहार

आपराधिक इतिहास

A. मु0अ0सं0 144/2024 धारा 103(1) बीएनएस थाना गहमर जनपद गाजीपुर

3. विलेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 महेंद्र चौधरी निवासी उसरी बाजार शाह पटना बिहार

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 144/2024 धारा 103(1) बीएनएस थाना गहमर जनपद गाजीपुर

02. थाना भांवरकोल पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 124/2024 धारा 137(2) बी0एन0एस0 से संबंधित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत उ0नि0 श्री दयाशंकर सिंह मय हमराह का0 देवेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 24.08.2024 को पंजीकृत मु0अ0सं0 124/2024 धारा 137(2) बी0एन0एस0 में नाबालिक का अपहरण करने वाले युवक विशाल राम पुत्र पंचदेव राम निवासी ग्राम वीरपुर थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष का नाम प्रकाश में लाते

हुए धारा 65(2),BNS एंव 5M/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए वीरपुर मोड के पास से दिनांक 26.08.20240 को समय करीब 7.51 बजे सायं गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –</u>

1. विशाल राम पुत्र पंचदेव राम निवासी ग्राम वीरपुर थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष

<u>अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –</u>

(1) मु0अ0सं0 124/24 धारा 137(2)बी0एन0एस0 65(2) एंव 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना भावरकोल गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर